दिनांक 21.07.2017 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में बामेती, पटना के सभाकक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम कृषि निदेशक, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. ई–किसान भवन :–

1.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक कुल 534 प्रखण्डों में से 408 प्रखण्डों में ई–किसान भवन का निर्माण हो गया है। 47 प्रखण्डों में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। 235 ई–किसान भवन हेतु उपस्कर क्रय करने के लिए राशि भेज दी गई है। अभी तक पटना जिला के पटना सदर, दानापुर अथमलगोला, दनियावा, घोसवरी, खुसरूपुर, सम्पतचक एवं बेलदी में जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है। नये प्रखण्डों के कार्यालय के लिए भी अभी तक जमीन चिन्हित नहीं हुआ है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जमुई जिला के बरहट में जमीन उपलब्ध हो गया है तथा समस्तीपुर जिला के मोहनपुर में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

1.2 जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि पूर्व में निर्मित सभी ई–किसान भवन के जीर्णोद्धार एवं चहारदीवारी निर्माण की आवश्यकता है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ई–किसान भवन के जीर्णोद्धार एवं चहारदीवारी निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता से प्राक्कलन तैयार करवाकर उपलब्ध कराया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.3 सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेश दिया गया कि वे जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ई–किसान भवन हेतु जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करायें तथा सभी निर्मित ई–किसान भवन का निरीक्षण कर यह प्रतिवेदित करे की प्रमंडल में ई–किसान भवन की क्या स्थिति है।

(अनु0–सभी संयुक्त निदेशक, शष्य)

1.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को वर्ष 2014–15 में ई–किसान भवन हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.5 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक भोजपुर एवं कैमूर जिला से ई–किसान भवन का वर्ष 2008–2009 से 2010–2011 तक का व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र अप्राप्त है। इसे अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0–जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर एवं कैमूर)

2. वर्षाश्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आर0ए0डी0) :– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत योजना का लक्ष्य के अनुसार विहित प्रपत्र–1 एवं 2 में मदवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अभी तक शेखपुरा, पटना एवं गया जिला से कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड :–

3.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में लक्ष्य के अनुसार प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना प्राप्ति की स्थिति औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पूर्वी चम्पारण, वैशाली एवं पूर्णिया में बहुत ही दयनीय है। इन जिलों को प्रखण्डों से मिट्टी नमूना को अविलम्ब प्रयोगशाला में भेजवाने का निदेश दिया गया।

3.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2016–2017 में मिट्टी नमूना संकलन, विश्लेषण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण में अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, एवं रोहतास की उपलब्धि बहुत ही दयनीय है। इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी को विशेष ध्यान देने तथा कृषि समन्वयकों पर विशेष बल देकर दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक सभी नमूना संकलित कर जॉच कराने तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 3.1 से 3.2–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.3 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वैसे कृषि समन्वयक जो लक्ष्य के अनुसार मिट्टी नमूना संग्रह नहीं किये हैं उनके 15 दिनों का वेतन की कटौती कर ली जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.4 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मिट्टी नमूना संग्रहण दल की सूची अभी तक औरंगाबाद, बांका, कैमूर, लखीसराय, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी एवं सिवान से अप्राप्त है। इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.5 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सफलता की कहानी विडियों क्लीप के साथ भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.6 सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को जिन जिलों में मिट्टी नमूना का विश्लेषण कम हुआ है, वहाँ एम0एस0टी0एल0 को भेज कर लक्ष्य के अनुसार मिट्टी नमूना विश्लेषित कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी संयुक्त निदेशक, शष्य)

3.7 सूचित किया गया कि दिनांक 24.07.2017 को ए0टी0सी0, पूर्णिया, खुशकीबाग में पूर्णिया एवं कोशी प्रमंडल के लिए Training for Software Operation आयोजित की जायेगी। इसमें भाग लेने का निदेश दिया गया।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4. <u>जैविक खेती प्रोत्साहन योजना :–</u>

4.1 सूचित किया गया कि गत माह आयोजित किसान समागम तथा दिनांक 19.07.2017 को आयोजित कृषि विभाग की विशेष बैठक में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा जैविक खेती पर विशेष बल दिया गया है। निदेश दिया गया कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाय तथा वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की जॉच की जाय एवं इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4.2 सूचित किया गया कि निम्न दो जैविक कोरीडोर बनाने का निदेश है।

- गंगा नदी के किनारे पटना से भागलपुर तक के सभी जिलों में गॉव का चयन कर जैविक खेती की जायेगी दियारा विकास योजना से इसे कार्यान्वित किया जायेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे दनियाँवा से बिहारशरीफ तक एवं बिहारशरीफ से बख्तियारपुर तक जैविक कोरीडोर बनाया जायेगा। इसे परम्परागत कृषि विकास योजना से कार्यान्वित किया जायेगा। रब्बी 2017–18 से इसे पूर्णतः लागू कर दिया जायेगा। सब्जी की खेती में इस पर विशेष बल दिये जाने का निदेश दिया गया।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4.3 सूचित किया गया कि योजना स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है। सभी मदों का अनुमानित लक्ष्य भेज दिया गया है। अभी से लाभान्वितों का चयन कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय। यह विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा प्रत्येक जिले में एक जैविक गाँव को विकसित किया जाय।

4.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक जिला में बायोगैस के निरीक्षण हेतु 2 कृषि समन्वयक को प्रशिक्षित किया जाय।

(अनु0–कंडिका 4.3 से 4.4– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. <u>वर्षापात, आच्छादन एवं धान बिचड़ा :–</u>

5.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में कुल 99 प्रतिशत बिचड़ा का आच्छादन हो गया है। बेगूसराय में मात्र 74 प्रतिशत बिचड़ा लगा है। वहाँ कृषकों द्वारा सोयाबीन की खेती पर जोड़ दिये जाने के कारण धान की रोपनी कम हो रही है। अभी तक नालन्दा में 5 प्रतिशत, गया में 8 प्रतिशत, शेखपुरा में 8 प्रतिशत, लखीसराय में 8 प्रतिशत तथा जमुई में 5 प्रतिशत धान का आच्छादन हुआ है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शत–प्रतिशत आच्छादन हो जाएगा।

5.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वर्षापात/आच्छादन/डीजल अनुदान वितरण का प्रतिवेदन प्रतिदिन 11.00 बजे तक सांख्यिकी कोषांग को उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. <u>बीज :–</u>

6.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गरमा, 2017 में हरी खाद योजना अन्तर्गत ढैंचा बीज मुंगेर एवं गया जिला में नहीं पहुंचने के कारण जिला में उपलब्धि नहीं हो सकी है। शेष सभी जिलो में योजनान्तर्गत ढैंचा बीज की उपलब्धता हुई है जिसका वितरण किसानों के बीच किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि ढैंचा बीज से लाभान्वितों की संख्या एवं आच्छादन रकबा संबंधित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय।

6.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खरीफ, 2017 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना अन्तर्गत भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, बेगूसराय, जमुई, भागलपुर, पूर्णियां एवं अररिया को छोड़कर शेष जिला के द्वारा पूर्णतः बीज वितरित कर दिया गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कुल उपलब्ध बीज को कृषकों में वितरित कर लाभांवितों की संख्या, एवं आच्छादित क्षेत्र अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। पटना, नालंदा, अरवल, नवादा, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पाररण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, लखीसराय, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज एवं कटिहार जिला में 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई है। सारण, बक्सर, भोजपुर, सिवान, बांका, सुपौल एवं खगड़िया के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 100 प्रतिशत उपलब्धि कर ली जायेगी। शेष जिला रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, जमुई, भागलपुर, पूर्णियां, दरभंगा एवं अररिया को उपलब्ध बीज को शत प्रतिशत वितरित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 6.1 से 6.2–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6.3 एकीकृत बीज ग्राम योजना, खरीफ, 2017 की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 63 क्वीं0 बीज उपलब्धता एवं 52.80 क्वीं0 बीज वितरित किया गया है। कैमूर जिला में 12 क्वीं0 धान बीज वितरण लक्ष्य के विरूद्ध 3 क्वीं0 बीज वितरण हुआ है। औरंगाबाद में उपलब्धि शून्य है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि अरहर, मडुआ एवं जूट का बीज उपब्ध नहीं होने के कारण इस योजना अन्तर्गत उपलब्धि नहीं हुई है। रोहतास, भोजपुर, बक्सर, गया, पश्चिम चम्पारण के द्वारा 100 प्रतिशत बीज वितरित किया गया है।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)